न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 195 / 2022

1 मनोज कुमार पुत्र निर्भय सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी डी.टी.ओ. ऑफिस के पास, पुरा की ढाणी सीकर रोड़, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्रीमती मन्जू पुत्री स्व. निर्भय सिंह पत्नी स्व. डॉ संतोष कुमार बाटड़ जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी पीपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 श्रीमती सीमा पुत्री स्व. निर्भय सिंह पत्नी बनवारीलाल दूधवाल जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी सी–118 इन्दिरा नगर, कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 श्रीमती सुधीरा पुत्री स्व. निर्भय सिंह पत्नी स्व. सुनिल कुमार बुडानिया जाति जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू।
5 श्रीमती जावित्री पत्नी स्व. मोतीलाल जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
6 श्रीमती उषा पत्नी स्व. जयप्रकाश जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
7 श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व. राजपाल जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
8 संजय पुत्र स्व. राजपाल जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

अपीलांट

बनाम

1 रविन्द्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2 विनोद
3 राजेश
पुत्रगण स्व. प्रताप सिंह जाति समस्त जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
4 मोहनी पत्नी नागेश
5 भव्य पुत्र नागेश
6 साक्षी पुत्री नागेश
जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी पंचायत समिति के सामने चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
7 श्री सिलोचना पुत्री स्व. प्रताप सिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गोरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी चौधरी कॉलोनी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा उप तहसील मण्ड्रेला जिला झुन्झुनू।
9 अंशु पुत्री स्व. जयप्रकाश पत्नी दिनेश एचरा जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी जेजुसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 अल्का पुत्री स्व. राजपाल पत्नी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू दावा उनवानी रविन्द्र बनाम विनोद वगै. दावा बाबत घोषणार्थ मु.नं. 86/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदसिंह भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा 86/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक वाद घोषणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 वाके ग्राम नरहड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 96 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां दावा पेश किया। उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को नजर अन्दाज कर निर्णित किया। आराजी हाल खसरा नम्बर 1789 से 1793 सरहद मौजा नरहड़ गत खसरा नम्बर 433 से बनी है। उक्त तथ्य की ताईद मिलान क्षेत्रफल से होती है। जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2016 से इस बात की ताईद होती है कि जमीन जैर बहस पहले बेगराज पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी देवरोड़ के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है। स्व. बेगराज ने उक्त आराजी को तत्कालीन ठिकाना से काश्त के लिए लगान की एवज में बतौर टिनेन्ट प्राप्त की और लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा किया गया तथा टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने पर लगान राजस्थान सरकार को दिया गया तथा टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने पर लगान राजस्थान सरकार को दिया गया। दावा दायरी के रोज व निर्णय व डिक्री पारित होने के रोज आराजी मुतनाजा सरकार सिवायचक महकमा कस्टोडियन के नाम गलत रिकार्ड में दर्ज रही है। विचारण न्यायालय ने जमीन जेर बहस की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट राजस्व एजेन्सी से मंगवाये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 1 का निर्णय विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के पक्ष में तय करने में कानूनी गलती की है। उक्त तनकी को निर्णित करने के आधार गलत दर्ज किये गये है। दफा 19 आर.टी. एक्ट 1955 की व्याख्या गलत की गई है। नामान्तरकरण संख्या 509 अवैध व शुन्य है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रताप सिंह पुत्र बेगराज के नाम जमीन जेर बहस दर्ज हुई वह प्रविष्टि अवैध व शुन्य है। तनकी संख्या 2 को निर्णित करने के आधार भी विधिक नहीं है। उक्त तनकी को निर्णित करने में गलती की है। राजस्व रिकार्ड की व्याख्या गलत की है। इन्तकाल संख्या 509 के आधार पर प्रताप सिंह को दफा 19 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत खातेदारी मिलने की व्याख्या गलत की गई है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के विरूद्ध करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की प्लींडिग से स्व. प्रताप सिंह की खातेदारी साबित नहीं है। खातेदारी का स्त्रोत प्लीडेड नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य से खातेदारी साबित नहीं हुई है। प्रताप सिंह को धारा 19 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत खातेदारी मिलना प्लीड किया गया है। जमीन जेर बहस का कृषक कौन था तथा उप कृषक का संविदा किससे हुआ तथा कब हुआ दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्लींडिग से बाहर जाकर दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर दावा स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की यह प्लींडिग रही है कि आराजी मुतनाजा तत्कालीन जागिरदार अडूका की जागिर की जमीन रही है और यह प्लींडिग है कि दफा 19 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत उनके पिता प्रताप सिंह को खातेदारी प्राप्त हुई। रिकार्ड्स ऑफ राईट्स में प्रविष्टि का आधार नामान्तरकरण संख्या 509 बताया गया है। कानून से जागिरदार से उपकृषक का संविदा नहीं हो सकता। उपकृषक की संविदा के लिए कृषक का होना आवश्यक है। जागिरदार की हैसियत भूमि अधिकारी की होती है। नामान्तरकरण संख्या 509 की प्रविष्टि अवैध व शुन्य है। उक्त नामान्तरकरण के कृषक के कॉलम में दर्ज असरूदीन, जमरूदीन व अकबर अली जमीन जेर बहस के कृषक रहे हो और उपरोक्त कृषकों से उपकृषक का संविदा किया गया हो, यह प्लींडिग नहीं रही है। नामान्तरकरण संख्या 509 में दर्ज प्रविष्टियों की ताईद पहले के राजस्व रिकार्ड से नहीं होती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्लींडिग व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को विधिक रूप से डिस्कस नहीं की है और बिना न्यायिक विवेक के मनमर्जी से निर्णय व डिक्री जेर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2022 का अवलोकन किया जावे तो योग्य विचारण

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने उक्त प्रकरण का विधिसंवत निस्तारण किया है। यह कि उपरवर्णितानुसार विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्टस का दावा रवीन्द्र बनाम विनोद कुमार वगे. में पक्षकार ही नहीं थे क्योंकि अपीलान्टस अथवा इनके पिता एवं पति का नाम कभी भी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नहीं रहा। अपीलान्टस अपने आपको उक्त वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध होना बताते है। किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 के पिता व पूर्वज प्रताप सिंह के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 431/3 व 433 की जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 का अवलोकन किया जावे तो उक्त भूमि प्रताप सिंह पुत्र बेगराज के नाज दर्ज है जो भूमि अधिकारी जागीरदार उक्त जागीरदार, विश्वेदार के विवरण सहित इन्तकाल संख्या 509 के जरिये उक्त भूमि प्रतासिंह की एकल खातेदारी हक अधिकार की दफा 19 के तहत दर्ज की गई है। उक्त इन्तकाल संख्या 509 को अपीलान्टस अथवा बेगराज के अन्य वारिसान द्वारा कभी भी चैलेंज नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार संवत 2016–2019 के प्रारभिंक रिकॉर्ड से गणना की जावे तो उक्त वादग्रस्त भूमि पिछले लगभग 60 वर्षों से अधिक अवधि से प्रतापसिंह पुत्र बेगराज के नाम दर्ज रिकार्ड व कब्जा काश्त रही है जो संवत 2028 तक बदस्तूर रही है। तत्पश्चात उक्त भूमि महकमा कस्टोडियन के खातेदारी में दर्ज कर दी जो गलत रूप से दर्ज कर दी गई थी जिस बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष दावा मु.नं. 86/2021 उनवानी रवीन्द्र बनाम विनोद वगै. दावा पेश करके खातेदारी हक व अधिकार न्यायालय की डिक्री के द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 को प्राप्त हुए है। इस प्रकार अपीलान्टस उक्त निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अपीलान्टस अपने आपको बेगराज के वारिसान होना बताते है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हितबद्ध होना बताते है जबकि उक्त बेगराज का देहान्त हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ही हो गया था। इस प्रकार उक्त भूमि प्रारंभ से ही प्रतापसिंह के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की रही है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से उक्त भूमि से हितबद्ध नहीं रहे है गलत तथ्यों के आधार पर वर्तमान अपील पेश की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील में या अपील का निस्तारण करते समय अपीलीय अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में विरोधाभासी तथ्यों का ही विवेचन करता है। किसी नये तथ्यों को विचारण न्यायालय की पत्रावली में विवेचन नहीं करता है। अपीलीय स्तर पर अपीलीय न्यायालय न तो विचारण कर सकता है और न ही ऐसे नवीन तथ्यों पर कोई फाईडिंग दे सकता है। अपीलान्टस की ओर से अपने आपको बेगराज के वारिसान होना बताकर हितबद्ध होना बताया है किन्तु उनकी ओर से उक्त वांदग्रस्त भूमि के बाबत तस्दीक हुए नामान्तकरण संख्या 509 को आज तक किसी न्यायालय में चैंलेज नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्टस अब इतने वर्षों के बाद उक्त नामान्तकरण को चैलेंज करने के कानूनी तौर पर अधिकारी है। अपीलान्टस की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनको हितबद्ध होना माना जा सके। अपीलान्टस को वादग्रस्त भूमि पर पिछले 60 वर्षों से अधिक अवधि से कोई भी कब्जा काश्त नही रहा है और न ही इनका नाम राजस्व रिकार्ड में कभी रहा है। इस प्रकार स्पष्ट तौर से उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टस को हितबद्ध होना प्रथम दृष्टया ही नहीं माना जा सकता। इस प्रकार भी अपीलान्टस की अपील खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2022 का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्टस मूलदावा रवीन्द्र बनाम विनोद कुमार वगे. में पक्षकार ही नहीं थे क्योंकि अपीलान्टस अथवा इनके पिता एवं पति का नाम कभी भी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नहीं रहा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अपीलान्टस अपने आपको उक्त वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध होना बताते है। किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 के पिता व पूर्वज प्रताप सिंह के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 431/3 व 433 की जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 का अवलोकन किया जावे तो उक्त भूमि प्रताप सिंह पुत्र बेगराज के नाज दर्ज है जो भूमि अधिकारी जागीरदार उक्त जागीरदार, विश्वेदार के विवरण सहित इन्तकाल संख्या 509 के जरिये उक्त भूमि प्रतासिंह की एकल खातेदारी हक अधिकार की दफा 19 के तहत दर्ज की गई है। उक्त इन्तकाल संख्या 509 को अपीलान्टस अथवा बेगराज के अन्य वारिसान द्वारा कभी भी चैलेंज नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार संवत 2016–2019 के प्रारभिंक रिकॉर्ड से गणना की जावे तो उक्त वादग्रस्त भूमि पिछले लगभग 60 वर्षों से अधिक अवधि से प्रतापसिंह पुत्र बेगराज के नाम दर्ज रिकार्ड व कब्जा काश्त रही है जो संवत 2028 तक बदस्तूर रही है। तत्पश्चात उक्त भूमि महकमा कस्टोडियन के खातेदारी में दर्ज कर दी जो गलत रूप से दर्ज कर दी गई थी जिस बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष दावा मु.नं. 86/2021 उनवानी रवीन्द्र बनाम विनोद वगै. दावा पेश करके खातेदारी हक व अधिकार न्यायालय की डिक्री के द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 को प्राप्त हुए है। इस प्रकार अपीलान्टस उक्त निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अपीलान्टस अपने आपको बेगराज के वारिसान होना बताते है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हितबद्ध होना बताते है जबकि उक्त बेगराज का देहान्त हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व ही हो गया था। इस प्रकार उक्त भूमि प्रारंभ से ही प्रतापसिंह के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की रही है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से उक्त भूमि से हितबद्ध नहीं रहे है गलत तथ्यों के आधार पर वर्तमान अपील पेश की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील में या अपील का निस्तारण करते समय अपीलीय अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय के निर्णय व डिक्री में विरोधाभासी तथ्यों का ही विवेचन करता है। किसी नये तथ्यों को विचारण न्यायालय की पत्रावली में विवेचन नहीं करता है। अपीलीय स्तर पर अपीलीय न्यायालय न तो विचारण कर सकता है और न ही ऐसे नवीन तथ्यों पर कोई फाईडिंग दे सकता है। अपीलान्टस की ओर से अपने आपको बेगराज के वारिसान होना बताकर हितबद्ध होना बताया है किन्तु उनकी ओर से उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत तस्दीक हुए नामान्तकरण संख्या 509 को आज तक किसी न्यायालय में चैंलेज नहीं किया गया है। अपीलान्टस की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनको हितबद्ध होना माना जा सके। अपीलान्टस को वादग्रस्त भूमि पर पिछले 60 वर्षों से अधिक अवधि से कोई भी कब्जा काश्त नही रहा है और न ही इनका नाम राजस्व रिकार्ड में कभी रहा है। इस प्रकार स्पष्ट तौर से उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टस को हितबद्ध होना प्रथम दृष्टया ही नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)